

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 1338 / भू अ०

दिनांक : 18/8/2021

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-खागा, थाना-खागा, थाना सं०-470, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना खागा-फुटानी चौक-डीगरी-डुमरिया मोड़-महापुर पथ पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-खागा, थाना-खागा, थाना सं०-470, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-0.435 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8	153	रैयती	बाड़ी-2	0.055	केदार राय वल्द माखन राय वो मजहरि राय वो निताय राय वो तालमनी राय वो तपसी राय वो वेधनाथ राय वो पूरन चन्द्र राय पे० केशव चन्द्र राय वो भूषण चन्द्र राय वो तिनकोड़ी राय वो गजाधर राय पे० दलगोबिन्द राय कौम सुड़ी सा० खैरबनी (ज०रै०) केदार राय वगैरह दा नं०-1/153 अनुसार प्रामि पक्ष उच्च विद्यालय खागा- द्वितीय पक्ष।	मौजा I का अर्जि त शेष भाग	मौजा का अर्जि त शेष भाग	मौजा का अर्जि त शेष भाग	मौजा I सोन तर
2	8	320	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव।				
3	9	157	रैयती	बाड़ी-2	0.03	गजाधर मंडल वल्द कीतु मंडल कौम सुड़ी सा०देह ज०रै०।				
4	13	155	रैयती	बाड़ी-2	0.04	चाइना देवी पति सनातन मंडल वो जिस्तु मंडल पे० दारो मंडल वो खेला देवी पति गुणाधर मंडल वो चाइना देवी मिहीर मंडल वो आशीष मंडल वो गंगाधर मंडल वो चण्डी मंडल वो माधव मंडल माता बिजली देवी वो मंजुड़ा देवी पति नीलकंठ मंडल कौम सुड़ी सा०देह प्रधान का जोत।				
5	13	160	रैयती	बाड़ी-2	0.025	तथैव।				
6	18	317	रैयती	बाड़ी-2	0.16	प्रथम पक्ष, निमाई खां वो कन्हाई खां पे० गोउर खां वो सेवादासी वो नमिता मंडल पे० भरत खां वो षष्ठी खां वो दिनु खां पे० अरुण खां वो लखाई				

						खां वो सुजीत खां पे० कालू खां वो अनील खां पे० ज्योति खां वो संध्या देवी पति सुनील खां कौम सुड़ी सा देह। द्वितीय पक्ष उच्च विद्यालय खागा।			
7	24	154	रैयती	बाड़ी-2	0.045	भूपेन खां वो जयदेव खां पे० गोउर खां वो निताय खां पे० नकुल खां वो अवधुत खां पे० भक्ति पद खां वो वालीका दासी पति ससधर मंडल वो ललिता दासी पति किकंर मंडल वो दुर्गा दासी पति सहदेव मंडल वो राधो मंडल माता फेलू देवी वो नेहारी देवी वो सुभद्रा देवी पति प्रभाकर मंडल वो गया राम मंडल पे० जितु मंडल वो भादु मंडलाईन पति दारो मंडल सा०देह जाति सुंडी।			
8	24	158	रैयती	बाड़ी-2	0.04	भूपेन खां वो जयदेव खां पे० गोउर खां वो निताय खां पे० नकुल खां वो अवधुत खां पे० भक्ति पद खां कौम सुड़ी सा०देह ज०रै०।			
9	38	314	रैयती	बाड़ी-2	0.035	प्रथम पक्ष-रक्षीक मंडल पे० रसीक मंडल वो नेफरण मंडल पे० श्रीधर मंडल वो मु० मेधनी मंडलाईन पति भानु मंडल ज०रै० कौम सुड़ी सा० खेखानी द्वितीय पक्ष-उच्च विद्यालय, खागा			
कुल रकवा-					0.435				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1338/ भू अ०, देवघर, दिनांक 18/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी, को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर


अपर समाहता
देवघर


समाहता-सह-उपायुक्त,
देवघर।